माननीय न्यायमूर्ति टी. एच. बी. के समक्ष

सुनील पल्टा और ***एक और,-अपीलार्थी***

बनाम

राज्य (चंडीगढ़, यू. ***टी.),-प्रतिवादी***

1999 का Crl.A. संख्या 854/SB

1 अक्टूबर, 1999

भारतीय दंड संहिता, 1860-Ss.304-B, 306 और 498-ए-साक्ष्य अधिनियम, ***1872-S.113 A-पत्नी द्वारा आत्महत्या-सत्र*** न्यायालय ***ने*** पति ***और सास को IPC की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया और IPC 498-ए और 304-बी के तहत बरी कर दिया-अभियोजन 'क्रूरता' या दहेज की किसी भी मांग को साबित करने*** में ***विफल रहा-धारा 113 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की उपधारणा लागू नहीं किया जा सकता*** है-एक ***बार जब आरोपी धारा 498-A IPC के तहत बरी हो जाते हैं- IPC की धारा 306 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है-अपील को स्वीकार किया जाता है।–अभियुक्त को IPC 306 के आरोप से बारी किया जाता है। ।***

अभिनिर्धारित किया कि विद्वत सत्र न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 498-ए और 304-बी के तहत अपराधों के लिए बरी कर दिया। इस प्रकार, विद्वत सत्र न्यायाधीश के निष्कर्षों और अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य, दोनों से यह स्पष्ट है कि किसी भी क्रूरता का कोई सबूत नहीं है। इसलिए, मेरे विचार में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत उपधारणा को लागू नहीं किया जा सकता है। आत्महत्या के लिए उकसाने की उपधारणा लगाने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि आत्महत्या शादी के सात साल के भीतर की गई थी और मृतक को उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का शिकार बनाया गया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 498-ए के स्पष्टीकरण में 'क्रूरता' का वही अर्थ होगा जो आई. पी. सी. की धारा 498-ए में है। इसलिए, इस मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत उपधारणा नही लगाई जा सकती है।

(पैरा 16)

इसके अतिरिक्त, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे, अभियुक्त के अपराध को साबित करने में विफल रहा। इसलिए आई.

पी. सी. की धारा 306 के तहत दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। दोनों अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 306 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया है।

(पैरा 17)

आर. एस. चीमा, ***वरिष्ठ अधिवक्ता,*** के ***साथ,*** एस. एस. नरूला, ***अपीलार्थियों के लिए अधिवक्ता।***

निर्णय

टी. एच. बी. चलपति, जे.

(1) यह अपील 19 अगस्त, 1999 को तय किए गए, 1997 के सत्र मामले संख्या 31, में चंडीगढ़ के विद्वत सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ की गई है।

(2) अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पहले आरोपी ने शिकायतकर्ता हरि चंद की सबसे बड़ी बेटी सुनीता रानी उर्फ निटी से नवंबर, 1973 में चंडीगढ़ में शादी की। उक्त सुनीता की 23 मई, 1997 को चंडीगढ़ के सेक्टर-16 के सामान्य अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। सुनीता के पिता की शिकायत पर, सुनीता के पति और सास के खिलाफ धारा 306, 304-ई और 498-ए आई. पी. सी. के साथ धारा 34 आई. पी. सी. के तहत मामला दर्ज किया गया था।

(3) जांच पूरी होने पर दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। अपने समक्ष रखी गए अभिलेख के आधार पर, विद्वत मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र को सौंप दिया, क्योंकि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। दोषी ठहराए जाने के बाद, विद्वत सत्र न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ धारा 306,304-बी और 498-ए आई. पी. सी. के तहत आरोप तय किए।

(4) अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों और चिह्नित दस्तावेजों की जांच की।

(5) अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने पर, विद्वत न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 306 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया, लेकिन अभियुक्तों को धारा 304-बी और 498-ए आई. पी. सी. के तहत बरी कर दिया। विद्वत सत्र न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को धारा 306 आई. पी. सी. के तहत अपराध के लिए चार साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 1000 रू

जुर्माना, प्रत्येक को सजा की।

(6) विद्वत सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई उक्त दोषसिद्धि और सजा से व्यथित होकर अभियुक्त ने इस अपील को प्राथमिकता दी।

(7) इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि सुनीता कुमारी ने आत्महत्या की थी। पीडब्लू-1 वह डॉक्टर है जिसने 23-5-1997 पर सुनीता कुमारी के शव की ऑटोपोसी की थी। बोर्ड का गठन करने वाले अन्य डॉक्टरों के साथ, उन्होंने थायराइड उपास्थि के ऊपर, और ठोड़ी के नीचे, गर्दन के सामने 2 सेंटीमीटर मापने वाला एक बंधन चिह्न पाया। उन्होंने आगे कहा कि उनके विचार में मृत्यु का कारण फांसी के परिणामस्वरूप दम घुटना था जो सामान्य परिस्थितियों मे मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने यह भी अपदस्थ कर दिया कि फांसी की प्रकृति मृत्यु-पूर्व है। उन्होंने आगे कहा कि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट में विषाक्तता से इनकार किया गया है।

(8) विचार करने के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या सुनीता कुमारी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि आरोपी द्वारा उसके साथ किया गया क्रूर व्यवहार असहनीय था। पीडब्लू-2 मृतक सुनीता कुमारी के पिता हैं। उनके अनुसार, शुरुआत से ही सुनीता कुमारी के पति सुनील कुमार उन्हें गुमराह कर रहे थे और कह रहे थे कि वह स्नातक हैं, लेकिन वह नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि सुनील कुमार ने बताया कि उनके पिता की केवल एक ही पत्नी थी, लेकिन यह पाया गया कि उनकी दूसरी पत्नी टुंडला में रहती थी और उनका एक भाई है। उसने आगे कहा कि उसकी बेटी कह रही थी कि उसे अभियुक्तों के साथ जुड़ना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वे हमेशा उसे धोखा दे रहे थे और ताना मार रहे थे की उस तलाक की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन तथ्य यह है कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में यह नहीं बताया। वास्तव में पीडब्लू-2 का कहना यह है कि उसकी बेटी की हत्या आरोपी और एक अन्य व्यक्ति ने की थी, लेकिन इस आशय का कोई सबूत नहीं है। दहेज की मांग के संबंध में उसका साक्ष्य काफी विरोधाभासी है और उसके साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपदस्थ किया कि उनकी पत्नी ने 50000 रुपये का चेक दिया, लेकिन अभिलेख पर साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि चेक को उनके अपने बेटे ने नगद कराया था न कि सुनील कुमार ने। पीडब्लू-2 के पूरे साक्ष्य को देखने के बाद, मेरी राय है कि वह एक विश्वसनीय गवाह नहीं है और उसके साक्ष्य का कोई परिणाम नहीं है।

(9) यह माना गया है की, सुनील कुमार और मृतक के बीच शादी अरेंज मैरिज

नहीं थी। यह प्रेम विवाह था। मृतक और सुनील कुमार के बीच वर्षों के दौरान आदान-प्रदान किए गए पत्र स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि उनके संबंध सौहार्दपूर्ण थे।

(10) पीडब्लू-5 के साक्ष्य से ही पता चलता है कि शादी चंडीगढ़ के सेक्टर 23 स्थित धर्मशाला में की गई थी। पीडब्लू-6 के साक्ष्य से पता चलता है कि नियंत्रण कक्ष से एक संदेश प्राप्त होने पर वह सेक्टर 44, चंडीगढ़ में हाउस नंबर 3113 पर पहुंचा और उसने पाया कि उस घर का दरवाजा टूटा हुआ था। उन्होंने मृतक की तस्वीर ली थी। उसका सबूत महत्वपूर्ण नहीं है। पीडब्लू-7 एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उसका साक्ष्य यह है कि पीडब्लू-2 ने उसे बताया कि सुनीता और उसके पति के बीच 'कलेश' (झगड़ा) था और उसे उनके घर जाना चाहिए और उन्हें सलाह देने की कोशिश करनी चाहिए। उसके साक्ष्य से आगे पता चलता है कि उसका पति भी उसके साथ था और सुनीता ने उसे बताया कि उसे बहुत परेशान किया गया था क्योंकि उसका पति उसके नैतिक चरित्र पर संदेह कर रहा था और 5000 रुपये की राशि के लिए विवाद था। उसके साक्ष्य को बारीकी से पढ़ने से कोई विश्वास पैदा नहीं होता। मेरे मुताबिक वह केवल एक मौका-गवाह है।उसके साक्ष्य को देखने के बाद, मैं उसके साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा हूं।

(11) पीडब्लू-8 का सबूत केवल इस आशय का है कि सुनील कुमार के साथ सुनीता की शादी के लिए शादी के कार्ड उनके प्रेस में छापे गए थे, उनका सबूत महत्वपूर्ण नहीं है।

(12) पीडब्लू-9 मृतक का भाई है। उसके साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शादी के बाद कुछ समय के लिए मृतक और उसके पति के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे, लेकिन कुछ समय बाद कुछ समस्या पैदा हो गई और वह शिकायत कर रही थी कि आरोपी उसे परेशान कर रहे थे और उसके नैतिक चरित्र पर भी संदेह कर रहे थे। उनके साक्ष्य को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह उनके पिता के साक्ष्य के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कोशिश की, एक नए तथ्य का परिचय देने के लिए, कि सुनीता और सुनील के बीच झगड़ा हुआ था, जब वे उनके घर गए थे, जिसकी पीडब्लू-2 ने बात नहीं की थी। उसके साक्ष्य से ही पता चलता है कि पति-पत्नी में छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता था। उनके साक्ष्य को बारीकी से पढ़ने पर, मैं उनके साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा हूं।

(13) पीडब्लू-10 ने केवल यह बयान दिया है कि उसे अस्पताल में सुनीता कुमारी के भर्ती होने की जानकारी मिली थी। उनका प्रमाण औपचारिक प्रकृति का है। पीडब्लू-11 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए।

(14) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद, अभियुक्तों से धारा 313 CrPC, के तहत पूछताछ की गई। जिसमें उन्होंने कहा कि यह मामला झूठा दर्ज किया गया है।

(15) पीडब्लू-2 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह एक हृदय रोगी थे और उनका लगातार इलाज चल रहा था और उन्हें वित्तीय समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा था। धारा 313 सी. आर. पी. सी. के तहत अभियुक्तों के बयान भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। धारा 313 Cr.P.C के तहत दर्ज अपने बयान में आरोपी नंबर 1 ने इस प्रकार कहाः–

> "शादी से पहले वह अपनी तनख्वा अपने पिता को दे रही थी, और शादी के बाद भी हम दोनों, यानी मैं और सुनीता जरूरत पड़ने पर पैसे और अन्य सामानों से उसके परिवार की मदद कर रहे हैं। मैंने 50000 रुपये की राशि भी, मेरे ससुर हरि चंद कुकरेजा की बाईपास सर्जरी के लिए, मेरे नियोक्ता, एस. अनूप सिंह ऋण लेकर दी। पीजीआई, चंडीगढ़ के साथ-साथ एम्स, नई दिल्ली में हरि चंद के इलाज के दौरान उनकी देखभाल करता रहा हु। यहां तक कि मैंने उनके लिए रक्तदान किया, इसके अलावा ओर भी बिलों को पूरा किया और दिल्ली की यात्रा के खर्च को भी पूरा किया। इतना कि एम्स में इलाज के लिए बैंक ड्राफ्ट भी मेरे द्वारा जमा किए गए थे। चूंकि सुनीता के पिता वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे थे और भारी कर्ज में भी थे, जिसके लिए वह और उनकी माँ, परिवार के सदस्य अक्सर वित्तीय मदद मांगते थे और सुनीता से पैसे लेते थे, वह एक बहुत ही संवेदनशील और भावुक महिला होने के नाते अपने पिता की समस्याओं के कारण तनाव को सहन नहीं कर पा रही थी। उससे अंतिम झटका तब लगा जब 22 मई, 1997 को सुनीता की छोटी बहन नीलम वैवाहिक घर आई और या तो कुछ कहा या मांग की जिसके कारण सुनीता ने अपना जीवन समाप्त कर लिया।"

(16) विद्वत सत्र न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को धारा 498-ए और 304-बी आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए बरी कर दिया। इस प्रकार यह विद्वत सत्र न्यायाधीश के निष्कर्षों और इस मामले में रिकॉर्ड पर दिए गए साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि किसी भी क्रूरता का कोई सबूत नहीं है। इसलिए, मेरे विचार में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत उपधारणा वर्तमान मामले में लागू नहीं कि जा

सकती है। आत्महत्या के लिए उकसाने की उपधारणाा लगाने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि आत्महत्या शादी के सात साल के भीतर की गई थी और मृतक के पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा मर्तक को क्रूरता का शिकार बनाया गया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के स्पष्टीकरण में 'क्रूरता' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए में है। इसलिए यदि एक बार आरोपी धारा 498-ए आई. पी. सी. के तहत आरोप से बरी हो जाते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक क्रूरता के अधीन नहीं था। इसलिए इस मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ए के तहत उपधारणा नहीं लगाई जा सकती है। यदि कोई उपधारणा नहीं लगायी जाती है, तो यह अभियोजन पक्ष को साबित करना है कि मृतक को क्रूरता से प्रताड़ित किया दिया गया था, और क्रूरता को सभी उचित संदेहों से परे साबित किया जाना चाहिए। जब कोई उत्पीड़न या क्रूरता साबित नहीं होती है, तो कोई उपधारणा नहीं लगायी जा सकती है। मृतक और उसके पति के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्रों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उनके संबंध सौहार्दपूर्ण थे और इन पत्रों में एक भी शब्द नहीं है जो दर्शाता है कि मृतक के साथ क्रूरता की गई थी। मृतक के माता-पिता या अन्य रिश्तेदारों से किसी भी दहेज या किसी अन्य वस्तु की मांग के संबंध में भी कोई सबूत नहीं है। अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था।

(17) अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने और विद्वत सत्र न्यायाधीश के निर्णय को देखने के बाद, मेरी राय है कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने में विफल रहा। इसलिए आई. पी. सी. की धारा 306 के तहत दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(18)परिणामस्वरूप, अपील को अनुमति दी जाती है और दोनों अभियुलतों को आई. पी. सी. की धारा 306 के तहत आरोप से बरी कर दिया जाता है। उनके जमानत बांड रद्द कर दिए जाएंगे।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा